



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 19, 2011/माघ 30, 1932

No. 31]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 19, 2011/MAGHA 30, 1932

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2011

सं. विधि 42(3)/87.—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 के अधीन जारी अधिसूचना सं. 145(अ), दिनांक 21 फरवरी, 1991 के खंड 1 के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (ख) और धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032 एटद्वारा (क) नीचे दी गई तालिका के सम्म (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला को उक्त अधिनियम और इसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को सौंपे गए कार्य करने हेतु 'पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं' के रूप में और (ख) तालिका के सम्म (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को विश्लेषण के लिए भेजे गए थायु, जल एवं अन्य पदार्थों के सम्म (4) में दर्शाएँ पैरामीटरों के संबंधित समूहों के विश्लेषण करने हेतु सरकारी विश्लेषक के रूप में मान्यता देता है।

दिनांक 20 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या विधि/42(3)/87, की क्रम संख्या 143 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा :

क्र. सं.	प्रयोगशाला का नाम	सरकारी विश्लेषक का नाम	मान्यता हेतु पैरामीटर समूह
(1)	(2)	(3)	(4)
144.	क्षेत्रीय प्रयोगशाला महाराष्ट्र, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, छठा तल, "उद्योग भवन", सिविल लाइन्स, नागपुर-440001, महाराष्ट्र	1. श्री बाबन श्रवण फूले, वैज्ञानिक अधिकारी 2. श्रीमति शीतल श्याम भसारकर, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 3. श्रीमति मीना तिलक गुप्ता, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 4. श्री विपिन उत्तम भानुदोरा, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	पौरीतिक, सामान्य, रासायन एवं गैर-मेटेलिक, धातु, कार्बनिक सूक्ष्यमजीब विज्ञानिक, विषाक्त, जैवकीय परिसंकटमय अपशिष्ट, मृदा, स्लज, तलछट और परिवेशी थायु के विश्लेषण हेतु थायु प्रदूषण पैरामीटर स्नोत उत्सर्जन, शेर, एवं सूक्ष्म मौसम विज्ञानिक पैरामीटर
145.	क्षेत्रीय प्रयोगशाला महाराष्ट्र, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, "पर्यावरण भवन", ए-4/1, चिक्कलथाना एम.आई.डी.सी. धूत अस्पताल के पांछे, औरंगाबाद-431210, महाराष्ट्र	1. डॉ पद्मानाथ दामोदर खाडकीकर, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 2. श्री नितिन हीरामन जायरे, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 3. श्री सुनील पारथरारीनाथ सालवे, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	पौरीतिक, सामान्य, रासायन एवं गैर-मेटेलिक, धातु, कार्बनिक सूक्ष्यमजीब विज्ञानिक, विषाक्त जैवकीय परिसंकटमय अपशिष्ट, मृदा, स्लज, तलछट और परिवेशी थायु के विश्लेषण हेतु थायु प्रदूषण पैरामीटर स्नोत उत्सर्जन, शेर, एवं सूक्ष्म मौसम विज्ञानिक पैरामीटर

(1)	(2)	(3)	(4)
146.	क्षेत्रीय प्रयोगशाला महाराष्ट्र, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रथम तल, "उद्योग भवन", राठी चौक, त्रिप्पक रोड, नासिक-422007, महाराष्ट्र	1. श्री सुरेश विठ्ठल राख भोसले, वैज्ञानिक अधिकारी 2. श्री सुनील काशीनाथ वाविस्कर, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 3. श्री सुरेश दामोदर मेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 4. श्री दत्तात्रेय विठोबा नेहे, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	भौतिक, सामान्य, रासायन एवं गैर-सेटेलिक, धातु कार्बनिक सूख्यमजीव विज्ञानिक, विधावत, वैवकीय परिसंकटमय अपशिष्ट, मृदा, स्लज, तलचट और परिवेशी वायु के विश्लेषण हेतु वायु प्रदूषण पैरामीटर स्रोत उत्सर्जन, शोर एवं सूक्ष्म मौसम विज्ञानिक चैरामीटर

इस प्रकार उल्लिखित पर्यावरणीय प्रयोगशाला तथा सरकारी विश्लेषक अधिसूचना जारी होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेंगे।

प्रो. स. प्र. गौतम, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/184/10/असा.]

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का. आ. 728(अ), दिनांक 21-7-1987 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसके पश्चात् उसमें निम्नलिखित को द्वारा संशोधन किये गये—(1) का.आ. 838(अ), दिनांक 23-9-87, (2) का.आ. 989(अ), दिनांक 17-11-87, (3) का.आ. 489(अ), दिनांक 17-05-88, (4) का.आ. 156(अ), दिनांक 24-2-89, (5) का.आ. 846(अ), दिनांक 24-10-89, (6) का.आ. 375(अ), दिनांक 26-4-90, (7) का.आ. 803(अ), दिनांक 23-2-92, (8) का.आ. 97(अ), दिनांक 5-12-94, (9) का.आ. 418(अ), दिनांक 31-3-96, (10) का.आ. 889(अ), दिनांक 31-8-96, (11) का.आ. 452(अ), दिनांक 31-5-97, (12) का.आ. 631(अ), दिनांक 31-5-98, (13) का.आ. 336(अ), दिनांक 1-1-99, (14) का.आ. 44(अ), दिनांक 15-1-2001, (15) संख्या का.आ. 490(अ), दिनांक 1-6-2001 और (16) संख्या का.आ. 532(अ), दिनांक 1-1-2002, (17) संख्या का.आ. 1168(अ), दिनांक 1-6-2002, (18) का.आ. 888(अ), दिनांक 1-6-2003, (19) विधि/42(3)/87, दिनांक 1-6-2004, (20) विधि/42(3)/87, दिनांक 1-3-2005, (21) विधि/42(3)/87, दिनांक 1-9-2005, (22) विधि/42(3)/87, दिनांक 15-12-2005, विधि/42(3)/87, दिनांक 1-5-2006, विधि/42(3)/87, दिनांक 1-9-2006, विधि/42(3)/87, दिनांक 1-8-2007, विधि/42(3)/87, दिनांक 1-10-2007, विधि/42(3)/87, दिनांक 1-2-2008, विधि/42(3)/87, दिनांक 1-4-2008, विधि/42(3)/87, दिनांक 1-10-2009, विधि/42(3)/87, दिनांक 15-1-2010 और विधि/42(3)/87, दिनांक 20-9-2010.

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, 27th January, 2011

No. Legal 42(3)/87.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 12 and Section 13 read with clause 1 of the Notification No. 145(E), dated 21st February, 1991, issued under Section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032 hereby recognize, (a) the Laboratories specified in column (2) of the Table below as 'Environmental Laboratories' to carry out the functions entrusted to the environmental laboratories under the said Act, and the rules made thereunder, and (b) specified persons in column (3) of the Table as the Government Analysts for the purposes of analysis of samples of air, water, or other substances sent for analysis, specified for respective groups of parameters mentioned in column (4).

After Sr. No.143 of the Notification No. Legal/42(3)/87, dated 20th September, 2010, and the entries relating thereto, the following Serial Nos. and entries shall be added namely :—

S. No.	Name of Laboratory	Name of the Govt. Analysts	Recognized for parameter groups
(1)	(2)	(3)	(4)
144.	Regional Laboratory, Maharashtra Pollution Control Board, 6th Floor, "Udyog Bhawan", Civil Lines, Nagpur-440001, Maharashtra	1. Mr. Baban Shrawan Fule, Scientific Officer 2. Smt. Sheetal Shyam Bhasarkar, Junior Scientific Officer 3. Smt. Meena Tilak Gupta, Junior Scientific Officer 4. Mr. Bipin Uttam Bhandore, Junior Scientific Officer	Physical, General, Chemical and non-Metallic, Metals, Organics, Microbiological, Toxicological, Biological, Hazardous Wastes, Soil, Sludge, Sediments and Air Pollution parameters for analysis of Ambient air, Source emissions, Noise & Micro-meteorological parameters.

(1)	(2)	(3)	(4)
145.	Regional Laboratory, Maharashtra Pollution Control Board, "Paryavarjan Bhawan", A-4/1, Chikalthana MIDC, Behind Dhoot Hospital, Auranagabad-431210, Maharashtra	1. Dr. Padmanabh Damodar Khadkikar, Junior Scientific Officer 2. Mr. Nitin Hiraman Zambre, Junior Scientific Assistant 3. Mr. Sunil Pardharinath Salve, Junior Scientific Assistant	Physical, General, Chemical and non-Metallic, Metals, Organics, Microbiological, Toxicological, Biological, Hazardous Waste, Soil, Sludge, Sediments and Air Pollution parameters for analysis of ambient air, Source emission, noise & micro-meteorological parameters.
146.	Rgional Laboratory, Maharashtra Pollution Control Board, 1st Floor, "Udyog Bhawan", Rathi Chowk, Trimbak Road, Nashik-422007, Maharashtra	1. Mr. Suresh Vitthalrao Bhosale, Scientific Officer 2. Mr. Sunil Kashinath Baviskar, Junior Scientific Officer 3. Mr. Suresh Damodar Mail, Junior Scientific Officer 4. Mr. Dattatraya Vithoba Nehe, Junior Scientific Assistant	Physical, General, Chemical and Non-Metallic, Metals, Organics, Microbiological, Toxicological, Biological, Hazardous Wastes, Soil, Sludge, Sediments and Air Pollution parameters for analysis of Ambient air, Source emissions, Noise & Micro-meteorological parameters.

The Environmental Laboratories and the Government Analysts so mentioned shall remain valid for a period of five years from the date of issue of Notification.

Prof. S. P. GAUTAM, Chairman

[ADVT. III/4/184/10/Ery.]

Foot Note : The principal notification was published in the Gazette of India *vide* No. S.O. 728(E), dated 21-7-1987 and subsequently amended *vide*—(1) Nos. S.O. 838(E), dated 23-9-87, (2) S.O. 989(E), dated 17-11-87, (3) S.O. 489(E), dated 17-5-88, (4) S.O. 156(E), dated 24-2-89, (5) S.O. 846(E), dated 24-10-89, (6) S.O. 375(E), dated 26-4-1990, (7) S.O. 803(E), dated 23-9-92, (8) S.O. 97(E), dated 5-12-1994, (9) S.O. 418(E), dated 31-3-1996, (10) S.O. 889(E), dated 31-8-1996, (11) S.O. 452(E), dated 31-5-97, (12) S.O. 631(E), dated 31-5-1998, (13) S.O. 336(E), dated 1-1-1999, (14) S.O. 44(E), dated 15-1-2001, (15) S.O. 490(E), dated 1-6-2001, (16) S.O. 532(E), dated 1-1-2002, (17) S.O. 1168(E), dated 1-6-2002, (18) S.O. 888(E), dated 1-6-2003, (19) Legal/42(3)/87, dated 1-6-2004, (20) Legal/42(3)/87, dated 1-3-2005, (21) Legal/42(3)/87, dated 1-9-2005, (22) Legal 42(3)/87, dated 15-12-2005, (23) Legal/42(3)/87, dated 1-5-2006, Legal/42(3)/87, dated 1-8-2006, Legal/42(3)/87, dated 1-1-2007, Legal/42(3)/87, dated 15-4-2007, Legal/42(3)/87, dated 1-8-2007, Legal/42(3)/87, dated 1-10-2007, Legal/42(3)/87, dated 1-2-2008, Legal/42(3)/87, dated 1-4-2008, Legal/42(3)/87, dated 1-10-2009, Legal/42(3)/87, dated 15-1-2010 and Legal/42(3)/87, dated 20-9-2010.